भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2759 का उत्तर

तत्काल टिकटों का रिफन्ड

2759. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यात्रियों को तत्काल और कंफर्म्ड या वेटिंग टिकटों के रद्दीकरण के लिए रिफन्ड नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त टिकटों हेतु रिफन्ड देने या यात्रियों को रिफन्ड की सुविधा देने के लिए नियमों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

तत्काल टिकटों के रिफन्ड के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को लोक सभा में श्री उपेन्द्र सिंह रावत के अतारांकित प्रश्न सं. 2759 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेल यात्रियों को दिनांक 04.11.2015 की राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 836 (ई) द्वारा अधिसूचित रेलवे यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराए की वापसी) नियम 2015 के अनुसार धन-वापसी की जाती है। यह नियम विभिन्न स्थितियों के अनुसार धन वापसी का अधिशेष देता है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

टिकट की किस्म	स्थिति	समय-अवधि
तत्काल	कंफर्म टिकट	यदि गाड़ी 3 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हो और गाड़ी के रद्द होने आदि को छोड़ कर कोई धन वापसी नहीं
	प्रतीक्षा सूची टिकट	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले आधे घंटे तक धन-वापसी अनुमेय है।
नियमित	कंफर्म टिकट	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले 4 घंटे तक धन-वापसी अनुमेय है।
	आरएसी, प्रतीक्षा सूची टिकट और आंशिक रूप से कंफर्म	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले आधे घंटे तक धन-वापसी अनुमेय है।

प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी का तीन घंटे से अधिक विलंब से चलने और यात्री द्वारा यात्रा न करने के मामले में, गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान तक उपर्युक्त सभी मामलों के लिए धन-वापसी अनुमेय है।

इसके अलावा, गाड़ी के रद्द होने के मामले में, ऑनलाइन टिकटों पर किराए की धनवापसी स्वत: हो जाती है और उल्लंघनों, दुर्घटना अथवा बाढ जैसी अप्रत्याशित परिस्तिथियों के लिए यात्रा वाले दिन को छोड़कर 3 दिन के भीतर पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द कराया जा सकता है।

(ग) और (घ): इस समय, रेलवे यात्री (टिकटों का रद्दकरण और किराए की वापसी) नियम, 2015 के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****